

परिवहन आयुक्त

कृपया अवगत कराना है कि दिनांक 15-04-2018 को विभाग की वैबसाइट पर अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची प्रदर्शित की गयी थी, जिस पर विभाग के अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा कतिपय आपत्तियां प्रस्तुत की गयी थी। उक्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिनांक 18-05-2018 को संशोधित पात्रता सूची वैबसाइट पर प्रदर्शित की गयी। गत टीप पृष्ठ संख्या 98-99 पर महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन के क्रम में कार्मिकों की पूर्व वर्षों/अवधियों की तैनातियों के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित अभिलेख प्राप्त कर उनका प्रतिपरीक्षण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त निम्न आधारों पर समस्त आपत्तियों का निराकरण किया गया है तथा पुनः आपत्तियों/निराकरणों का प्रतिपरीक्षण कर लिया गया है—

- (क) तैनाती तथा सम्बद्धता की तिथियों का विवरण मुख्यालय पर स्थित पी0आई0एस0 डाटा बेस, कार्यालय अभिलेख तथा गत वर्षों में नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा दिये गये पूर्व तैनाती विवरण के आधार पर तैयार किया गया था। उक्त विवरण की पुष्टि दिनांक 25-05-2018 को नियन्त्रक अधिकारियों से करवायी गई।
- (ख) सुगम व दुर्गम क्षेत्रों में कार्यावधियों की गणना में प्रशिक्षण अवधि को सम्मिलित नहीं किया गया है।
- (ग) जहां किसी कार्मिक को उसकी तैनाती के कार्यस्थल से अवमुक्त कर दूसरे कार्यस्थल पर सम्बद्ध किया गया है और उसकी सम्बद्धता की अवधि एक माह से अधिक है वहां सम्बन्धित कार्मिक की कार्यावधि की गणना उसके सम्बद्धीकरण के कार्यस्थल के अनुसार की गयी है।
- (घ) यदि किसी कार्मिक को दोहरा कार्यभार अथवा मूल तैनाती के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है तो उसकी कार्यावधि की गणना उसके मूल तैनाती स्थल के अनुसार की गयी है।
- (ङ) सम्पूर्ण सेवा काल की गणना कार्मिक द्वारा परिवहन विभाग में की गयी सम्पूर्ण सेवा के आधार पर की गयी है तथा इसमें राज्य गठन से पूर्व का कार्यकाल भी सम्मिलित किया गया है। किसी कार्मिक द्वारा परिवहन विभाग की सेवा से पूर्व अन्य विभागों में की गयी सेवाओं का संज्ञान नहीं लिया गया है।
- (च) अधिनियम की धारा 20(ख) के अनुसार कार्मिकों द्वारा ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जो 7000 फीट से कम ऊंचाई पर स्थित हैं, की गयी एक वर्ष की सेवा को एक वर्ष तीन माह की सेवा के समतुल्य मानकर पात्रता में लाभ/प्रोत्साहन दिया गया है। परन्तु ऐसी बढी हुई अवधि को तैनाती सम्बन्धी मूल तालिका में प्रदर्शित नहीं किया गया है, ताकि कार्मिकों के वास्तविक सम्पूर्ण सेवाकाल में कोई परिवर्तन न हो।
- (छ) प्रवर्तन दलों के वर्तमान कार्यक्षेत्रों के आधार पर उनका सुगम व दुर्गम में श्रेणीकरण किया गया है। परन्तु वर्ष 2005, 2013 तथा 2016 में नये प्रवर्तन दलों के गठन से पूर्व तत्कालीन प्रवर्तन दलों के कार्यक्षेत्र में यदि वर्तमान में दुर्गम क्षेत्र के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध दलों का कार्यक्षेत्र सम्मिलित था तो ऐसे दलों में तत्कालीन तैनाती की अवधि को दुर्गम तैनाती में सम्मिलित किया गया है। उदाहरण के लिए देहरादून प्रवर्तन दल में दिनांक 06-05-2013 को चकराता दल के गठन से पूर्व चकराता का सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र भी सम्मिलित था। अतः 06-05-2013 से पूर्व प्रवर्तन दल देहरादून में तैनाती की अवधि को दुर्गम में तैनाती की अवधि माना गया है।
- (ज) चकराता, कोटद्वार, रामनगर, नैनीताल तथा टनकपुर प्रवर्तन दलों को उनके कार्यक्षेत्र के आधार पर दुर्गम में श्रेणीबद्ध किया गया है। उक्त दलों/कार्यालयों में



101  
टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

तैनाती के दौरान परिवहन कर अधिकारी-1 की सेवा को दुर्गम क्षेत्र की सेवा में सम्मिलित किया गया है। इन कार्यालयों में तैनात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों द्वारा परिवहन कर अधिकारी-1 के तैनात न होने की दशा में स्वयं द्वारा प्रवर्तन कार्य भी किये जाने के आधार पर उनकी सेवा को दुर्गम सेवा के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने की मांग की गयी है। ऐसे प्रकरणों में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों की मूल तैनाती सम्बन्धित कार्यालय के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के रूप में मानते हुए तदनुसार उन्हें सुगम क्षेत्र में तैनात मानकर कार्यावधि की गणना की गयी है।

1- सम्भागीय परिवहन अधिकारी।

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/ अवकाश की अवधि
1	सुधांशु गर्ग	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	1- सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर पदोन्नति वर्ष 2008 से 07 वर्ष 02 माह दुर्गम क्षेत्र में तथा केवल 02 वर्ष 07 माह सुगम क्षेत्र में तैनाती का उल्लेख किया गया है। 2- दिनांक 18-07-2000 से जून 2002 तक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश के पद पर सेवा प्रदान की गयी। उस समय टिहरी, उत्तरकाशी का दायित्व उनके पास था। 3- दिनांक 04-03-2003 से 16-04-2007 तक सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हरिद्वार के पद पर रहे। उस समय कोटद्वार, कर्णप्रयाग एवं रूद्रप्रयाग कार्यालयों का दायित्व उनके पास था। इस प्रकार उनके द्वारा सुगम क्षेत्र की सेवा 18 वर्ष 10 माह के स्थान पर 11 वर्ष 10 माह किये जाने का अनुरोध किया गया	वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी पात्रता सूची में श्री गर्ग की सुगम क्षेत्र में तैनाती 18 वर्ष 10 माह तथा दुर्गम क्षेत्र में 07 वर्ष 02 माह प्रदर्शित की गयी है। उत्तराखण्ड लोक सेवकों के वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में दी गयी व्यवस्थानुसार अधिकारी एवं कार्मिकों की सम्पूर्ण सेवा अवधि के आधार पर पात्रता सूची निर्गत की गयी है। इसके अतिरिक्त अधिकारियों को उनके मूल तैनाती स्थल के आधार पर दर्शाया गया है। न की अतिरिक्त प्रभार के आधार पर। श्री गर्ग गृह जनपद में तैनात होने के कारण उनके नाम के सम्मुख गृह जनपद दर्शाया गया है।	---

*(Handwritten signatures and marks)*

टीपें और आज्ञायें

			<p>है। 4- गृह जनपद का उल्लेख करना न्यायसंगत नहीं बताया गया है तथा सूची में प्रथम स्थान पर नाम अंकित किये जाने को अनुचित बताया गया है।</p>		
2	राजीव मेहरा	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	<p>वर्तमान तैनाती स्थल पर तैनाती की तिथि दिनांक 06-01-2017 के सीन पर 04-01-2017 दर्शाये जाने का अनुरोध।</p>	<p>आपत्ति सही पायी गयी। तदनुसार वर्तमान तैनाती सील पर तैनाती तिथि 06-01-2017 के सीन पर 04-01-2017 दर्शाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त दिनांक 14-10-2005 से 27-08-2006 तक मुख्यालय में तैनाती की अवधि पूर्व में प्रदर्शित नहीं की गयी थी, जिससे कार्यालय अभिलेखानुसार संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।</p>	---
3	दिनेश चन्द्र पठोई	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी	<p>पूर्व तैनातियों की तिथि उत्तरकाशी कार्यालय में दिनांक 27-08-2006 तथा पौड़ी कार्यालय में दिनांक 09-10-2015 दर्शाये जाने का अनुरोध।</p>	<p>आपत्ति सही पायी गयी। तदनुसार उत्तरकाशी कार्यालय में तैनाती तिथि 27-08-2006 एवं पौड़ी कार्यालय में 09-10-2015 दर्शाया जाना प्रस्तावित है।</p>	<p>सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर वर्ष, 2016 में कुल 99 अवकाश तथा वर्ष, 2017 में कुल 66 अवकाश ग्रहण किये गये हैं। अतः अधिनियम की धारा 10(ख) के परन्तुक में दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त दोनो वर्षों में 01 माह से अधिक की अवकाश अवधि क्रमशः 69 तथा 36 दिवस दुर्गम में की गयी कुल सेवा अवधि से घटाया जाना प्रस्तावित है।</p>

QW

QW

QW

टीपें और आज्ञायें

2-सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी।

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/अवकाश की अवधि
1	गुरदेव सिंह	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	सुगम क्षेत्र कें विभिन्न कार्यालयों में व्यतीत अवधि 04 वर्ष से अधिक होने पर पात्रता का निर्धारण तथा दिनांक 12-08-2012 से 24-04-2015 तक की सेवा अवधि को दुर्गम क्षेत्र में अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7(क) में दी गयी व्यवस्थानुसार पात्रता का निर्धारण वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि तैनाती के आधार पर किया गया है। तथा श्री गुरदेव सिंह हल्द्वानी कार्यालय में 12-08-2012 से 31-05-2018 तक मूल रूप से स0सं0प0 अ0(प्रवर्तन) के पद पर तैनात रहे। उक्त अवधि में से 12-08-12 से 24-04-2015 की अवधि में प्रवर्तन दल हल्द्वानी के कार्यक्षेत्र में प्रवर्तन दल नैनीताल तथा रामनगर का क्षेत्र भी सम्मिलित था जो वर्तमान में दुर्गम है। अतः उनके मूल पद स0सं0प0अ0(प्रवर्तन) के आधार पर प्रश्नगत अवधि में उनकी तैनाती दुर्गम क्षेत्र में दर्शाया जाना प्रस्तावित है।	---
2	सन्दीप वर्मा	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	सुगम क्षेत्र कें विभिन्न कार्यालयों में व्यतीत अवधि 04 वर्ष से अधिक होने पर पात्रता का निर्धारण तथा दिनांक 30-07-2009 से 31-08-2010 तक (परिवहन कर अधिकारी-1, टनकपुर दल के पद पर दायित्वों का निर्वहन) की	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7(क) में दी गयी व्यवस्थानुसार पात्रता का निर्धारण वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि की तैनाती के आधार पर किया गया है। तथा श्री सन्दीप वर्मा टनकपुर दल में मूल रूप से परिवहन कर	---

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

			सेवा अवधि को दुर्गम क्षेत्र में अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	अधिकारी-1 के पद पर तैनात रहे। अतः आपत्ति मान्य करते हुए उनके मूल पद के आधार पर उनकी तैनाती दुर्गम क्षेत्र में दर्शाया जाना प्रस्तावित है।	
3	नन्द किशोर	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उधमसिंहनगर	दिनांक 09-07-2010 से 22-08-2012 तक की तैनाती प्रवर्तन दल, टनकपुर को दुर्गम क्षेत्र में दर्शाये जाने तथा गृह जनपद नैनीताल के स्थान पर अल्मोड़ा करने का अनुरोध किया गया है।	श्री नन्द किशोर टनकपुर कार्यालय में मूल रूप से स0सं0प0अ0 के पद पर तैनात रहे। उनके मूल पद के आधार पर उनकी तैनाती सुगम क्षेत्र में दर्शायी गयी है। तथा उनका गृह जनपद अल्मोड़ा मान्य करते हुए संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	---
4	मनीष तिवारी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	सुगम क्षेत्र के विभिन्न कार्यालयों में व्यतीत अवधि 04 वर्ष से अधिक होने पर पात्रता का निर्धारण किये जाने का अनुरोध किया गया है।	स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-7(क) में दी गयी व्यवस्थानुसार पात्रता का निर्धारण वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष या उससे अधिक अवधि तैनाती के आधार पर किया गया है। अतः आपत्ति अमान्य किया जाना प्रस्तावित है।	---
5	पूजा नयाल	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर	स्थानान्तरण अधिनियम -2017 की धारा 20 (ख) के अनुसार अपनी दुर्गम क्षेत्र में की गयी 08 वर्ष 11 माह की सेवा की गणना 11 वर्ष 01 माह के तुल्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।	स्थानान्तरण अधिनियम - 2017 की धारा 20 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र हैं। अतः पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर वर्ष, 2018 में कुल 44 अवकाश ग्रहण किये गये हैं। अतः अधिनियम की धारा 10(ख) के परन्तुक में दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त वर्ष में 01 माह से अधिक की अवकाश

*(Handwritten signatures)*

टीपें और आज्ञायें

					अवधि 14 दिवस दुर्गम में की गयी कुल सेवा अवधि से घटाया जाना प्रस्तावित है।
6	द्वारिका प्रसाद	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी	द्वारा स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-20 (ख) अपनी दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की 02 वर्ष 06 माह अवधि को 03 वर्ष 01 माह के तुल्य किये जाने का अनुरोध किया गया है।	स्थानान्तरण अधिनियम- 2017 की धारा 20 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र हैं। अतः पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	---
7	विमल पाण्डेय	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रामनगर	दुर्गम क्षेत्र में अपनी सेवा की अवधि दिनांक 01-01-2017 से 31-03-2017 तक जोड़ने का अनुरोध किया गया है।	आपत्ति सही पायी गयी। तदनुसार सेवावधि में दिनांक 01-01-2017 से 31-03-2017 को दुर्गम क्षेत्र में दर्शाया जाना प्रस्तावित है।	---
8	रावत सिंह	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार	दिनांक 07-12-2016 से प्रवर्तन दल, कोटद्वार का अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन किया गया है तथा उक्त अवधि को दुर्गम क्षेत्र में शामिल किये जाने का अनुरोध किया गया है।	श्री रावत सिंह कोटद्वार कार्यालय में मूल रूप से स0सं0प0अ0 के पद पर तैनात हैं तथा उनके मूल पद के आधार पर उनकी तैनाती सुगम क्षेत्र में दर्शायी गयी है।	---
9	डा0 अनीता चमोला	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश	प्रवर्तन दल, कोटद्वार में दिनांक 26-10-2010 से 28-02-2014 तक की सेवा अवधि को दुर्गम क्षेत्र में शामिल करने का अनुरोध किया गया है।	डाँ0 अनीता चमोला कोटद्वार कार्यालय में मूल रूप से स0सं0प0अ0 के पद पर तैनात रही। उनके मूल पद के आधार पर उनकी तैनाती सुगम क्षेत्र में दर्शायी गयी है।	---

3- परिवहन कर अधिकारी-1

क्र0सं0	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/ अवकाश की अवधि
1	कुलवन्त सिंह	उपसम्भागीय परिवहन	अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 तक	श्री कुलवन्त सिंह ऋषिकेश कार्यालय	---

*(Handwritten signatures and initials)*

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

		कार्यालय, ऋषिकेश	उत्तरकाशी कार्यालय तथा नवम्बर, 2005 से जून, 2009 तक कौड़िया चैकपोस्ट के साथ प्रवर्तन दल, पौड़ी की अवधि को दुर्गम में दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है।	एवं कौड़िया चैकपोस्ट में मूल रूप से क्रमश परिवहन कर अधिकारी-1 एवं परिवहन कर अधिकारी-2 के पद पर तैनात रही। उनके मूल पद के आधार पर उनकी तैनाती सुगम क्षेत्र में दर्शायी गयी है। अतः आपत्ति अमान्य है।	
2	रत्नाकर सिंह	प्रवर्तन दल, चकराता	दुर्गम क्षेत्र में कार्य करने की अवधि की गणना दिनांक 25-04-2015 से किये जाने का अनुरोध किया गया है।	श्री रत्नाकर सिंह की दुर्गम क्षेत्र में तैनाती अवधि की गणना दिनांक 25-04-2015 से ही की गयी है, जिसके अनुसार उनकी दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की अवधि लगभग 03 वर्ष 01 माह है तथा सम्बन्धित अधिकारी को अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु दुर्गम से सुगम क्षेत्र हेतु पात्रता सूची में क्रमांक 02 पर प्रदर्शित किया जाना प्रस्तावित है।	
3	नवीन कुमार सिंह	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ़	-	स्थानान्तरण अधिनियम- 2017 की धारा 20 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 02 वर्ष 07 माह को 03 वर्ष 02 माह के तुल्य किये जाने से दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र हैं। तदनुसार पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।	
4	ज्योतिशंकर मिश्र	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी	-	स्थानान्तरण अधिनियम- 2017 की धारा 20 (ख) में दी गयी व्यवस्थानुसार दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की अवधि 02 वर्ष 06 माह को 03 वर्ष 01	

Ans

टीपें और आज्ञायें

				माह के तुल्य किये जाने से दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र हैं। तदनुसार पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।
--	--	--	--	---

4- परिवहन कर अधिकारी-2

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/ अवकाश की अवधि
1	महावीर सिंह नेगी	कुल्हाल चैकपोस्ट	कुल्हाल चैकपोस्ट पर तैनाती की तिथि 24-12-2013 एवं भगवानपुर चैकपोस्ट पर तैनाती का विवरण दिनांक 11-06-2016 से 07-09-2016 तक दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है।	कुल्हाल चैकपोस्ट पर तैनाती की तिथि संशोधित की जानी प्रस्तावित है। जहाँ तक उनके द्वारा भगवानपुर में तैनाती का उल्लेख किया गया है इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि 30 मई, 2016 में स्थानान्तरण सत्र के दौरान इनका स्थानान्तरण कुल्हाल से भगवानपुर किया गया था, परन्तु शासन के आदेशों के क्रम में स्थानान्तरण सत्र शून्य होने के कारण इस कार्यालय के कार्यालयादेश संख्या-940/अधि०/दो-29/2016 दिनांक 14-07-2016 द्वारा सम्बन्धित अधिकारी की तैनाती पुनः कुल्हाल चैकपोस्ट पर की गयी। अतः आपत्ति अमान्य है।	---

5- लेखाकार

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/ अवकाश की अवधि
1	धर्मेन्द्र रावत	सम्भागीय परिवहन कार्यालय,	श्री महेन्द्र कुमार, लेखाकार का नाम सुगम से दुर्गम क्षेत्र में	श्री महेन्द्र कुमार द्वारा सुगम क्षेत्र में लगभग 33 वर्ष	---

*(Handwritten signature)*



टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

		देहरादून	स्थानान्तरण हेतु प्रदर्शित सूची में क्रमांक 01 पर रखने का अनुरोध किया गया है।	की सेवा एवं श्री धर्मेन्द्र रावत द्वारा सुगम क्षेत्र में लगभग 7 वर्ष 11 माह की सेवा पूर्ण करने के आधार पर श्री महेन्द्र कुमार का नाम अवरोही क्रम में क्रमांक 01 पर उल्लिखित किया जाना प्रस्तावित है।	
2	महेन्द्र कुमार	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	वर्तमान तैनाती स्थल सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून के स्थान पर उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार किये जाने का अनुरोध किया गया है।	सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों का परीक्षणोपरान्त आपत्ति सही पाये जाने के दृष्टिगत तदनुसार संशोधन प्रस्तावित है।	---

6- सम्भागीय निरीक्षक (प्राविधिक)

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/ अवकाश की अवधि
1	आलोक कुमार	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	वर्तमान तैनाती स्थल देहरादून में तैनाती की तिथि 31-07-2015 किये जाने तथा सम्भागीय निरीक्षक के पद पर लोक सेवा आयोग से चयनित होने के पश्चात वर्ष, 2012 के आधार पर सेवावधि दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है।	वर्तमान तैनाती स्थल पर तैनाती की तिथि 31-07-2015 किया जाना प्रस्तावित। श्री आलोक कुमार सम्भागीय निरीक्षक के पद पर नियुक्ति से पूर्व विभाग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पद पर तैनात रहे हैं। इस प्रकार इन्हें विभाग में 1988 से लगभग 30 वर्ष की सेवा हो चुकी है। अतः सम्पूर्ण सेवावधि के आधार पर पूर्व तैनातियों	---

*(Handwritten signatures)*

## टीपें और आज्ञायें

				का विवरण दर्शाया गया है।	
--	--	--	--	--------------------------	--

## 7- प्रधान सहायक

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/अवकाश की अवधि
1	रमेश कुमार सुनेजा	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ़	सुगम में सम्बद्धता की अवधि को सम्मिलित न करते हुये मूल तैनाती की तिथि 25-07-2005 किये जाने का अनुरोध।	सम्बन्धित कार्मिक की नियुक्ति 25-07-2005 को उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, पिथौरागढ़ में हुयी थी तथा सितम्बर, 2009 से मई, 2017 तक उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर में सम्बद्ध रहे। अतः सम्बन्धित कार्मिक की वर्तमान तैनाती मई, 2017 दर्शायी गयी है।	---
2	महेन्द्र सिंह नेगी	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	नियुक्ति की तिथि 25-05-2005 के स्थान पर 25-07-2005 किये जाने का अनुरोध।	सम्बन्धित कार्मिक की आपत्ति सही पाये जाने के कारण संशोधन प्रस्तावित।	---
3	मुकेश तिवारी	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	सुगम क्षेत्र में तैनाती की तिथि 13-09-2005 के आधार पर पात्रता सूची में क्रम निर्धारण का अनुरोध।	सम्बन्धित कार्मिक की आपत्ति सही पाये जाने के कारण संशोधन प्रस्तावित।	---
4	राजेन्द्र प्रसाद	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	दिनांक 30-04-2022 को सेवानिवृत्ति होने के कारण अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट का अनुरोध।	सम्बन्धित कार्मिक की आपत्ति सही पाये जाने के कारण संशोधन प्रस्तावित।	---

*[Handwritten signatures]*

110  
टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

8- वरिष्ठ सहायक

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/अवकाश की अवधि
1	अनिल भारती	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टिहरी	सेवावधि को सुगम क्षेत्र के स्थान पर दुर्गम क्षेत्र में दर्शाये जाने का अनुरोध।	सम्बन्धित कार्मिक की आपत्ति सही पाये जाने के कारण संशोधन प्रस्तावित।	---
2	सरिता बहुगुणा	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	उनके द्वारा अपने साथ तैनात अन्य कार्मिक श्री शैलेन्द्र बिष्ट, श्री अमित कुमार गुप्ता, श्री नरेन्द्र मियों, श्री भूपेन्द्र सिंह रावत, श्रीमती सपना रानी आदि कार्मिकों की नियुक्ति मेरी नियुक्ति तिथि से पूर्व या साथ ही हुयी है। उक्त कार्मिकों की तैनाती/सम्बद्धता सुगम स्थानों में रही है। परन्तु उनका नाम दुर्गम स्थानों हेतु जारी सूची में नहीं होने का उल्लेख किया गया है।	सुगम क्षेत्र के एक ही कार्यालय में न्यूनतम 04 वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकि है तथा श्रीमती बहुगुणा द्वारा जिन कार्मिकों का उल्लेख किया गया है वे वर्तमान में अन्यत्र कार्यालयों में अथवा पूर्व में अन्य कार्यालयों में 01 वर्ष से अधिक अवधि से सम्बद्ध रहे हैं एवं उन्हें वर्तमान कार्यालयों में 04 वर्ष की अवधि पूर्व नहीं हुयी है। अतः आपत्ति अमान्य है।	---
3	राजेन्द्र बेहरा	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	ऋषिकेश कार्यालय में दिनांक 27-02-2014 से 28-01-2016 तक सम्बद्धीकरण की अवधि को दर्शाये जाने के सम्बद्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।	सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में सम्बद्धीकरण की अवधि नहीं दर्शायी गयी थी। अतः उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों	---

*Wms*


टीपें और आज्ञायें

				के आधार पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	
4	निश्चय जोशी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर	दुर्गम क्षेत्र की सेवा 09 वर्ष 08 माह के स्थान पर 09 वर्ष 10 माह तथा वर्तमान तैनाती स्थल पर 04 वर्ष 05 माह की अवधि को 08 वर्ष 11 माह किये जाने का अनुरोध किया गया है।	दुर्गम क्षेत्र की सेवा अवधि 09 वर्ष 10 माह किया जाना प्रस्तावित है तथा सम्बन्धित कार्मिक दिनांक 01-12-2012 से 13-01-2014 तक अल्मोड़ा कार्यालय में सम्बद्ध होने के कारण वर्तमान तैनाती स्थल की अवधि 04 वर्ष 05 माह दर्शायी गयी है।	---
5	मनोज सिंह रावत	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कोटद्वार	कोटद्वार कार्यालय में तैनाती की तिथि 13-08-2008 किये जाने का अनुरोध किया गया है।	सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर कोटद्वार कार्यालय में तैनाती की तिथि में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	---
6	आशीष मोहन पाण्डेय	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	विभाग में तैनाती की तिथि 11-12-2008 अंकित किये जाने के कारण स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची (अवरोही क्रम) को संशोधित करने का अनुरोध किया गया है।	सम्बन्धित कार्मिक की आपत्ति सही पाये जाने के कारण संशोधन प्रस्तावित है।	---
7	रामसिंह पिंगल	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उधमसिंहनगर	दिनांक 31-01-2009 से 25-04-2009 तक एवं दिनांक 07-08-2009 से 05-10-2009 तक सितारगंज चैकपोस्ट	सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों	---

*[Handwritten signature]*

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

			05-10-2009 तक सितारगंज चौकपोस्ट पर तैनाती प्रदर्शित करने का अनुरोध किया गया है।	उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	
8	बृज मोहन	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	नियुक्ति तिथि 15-12-2008 का अनुरोध किया गया है।	सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	---
9	नवीन चन्द्र भट्ट	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर	हल्द्वानी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 26-12-2009 एवं टनकपुर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 10-02-2009 किये जाने का अनुरोध किया गया है।	सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	---
10	रमेश चन्द्र तिवारी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर	हल्द्वानी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 03-12-2008 एवं टनकपुर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 01-01-2009 किये जाने का अनुरोध किया गया है।	सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	---
11	जगदीश चन्द्र भट्ट	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर	हल्द्वानी कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 06-12-2008 एवं टनकपुर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 02-01-2009 किये जाने का अनुरोध।	सम्बन्धित सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	---
12	यतिन तिवारी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर	-	-	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, बागेश्वर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के



					आधार पर वर्ष, 2017 में कुल 79 अवकाश ग्रहण किये गये हैं। अतः अधिनियम की धारा 10(ख) के परन्तुक में दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त वर्ष में 01 माह से अधिक की अवकाश अवधि 49 दिवस दुर्गम में की गयी कुल सेवा अवधि से घटाया जाना प्रस्तावित है।
13	मनोज कुमार	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रुद्रप्रयाग	-	-	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर वर्ष, 2010 में कुल 36 अवकाश ग्रहण किये गये हैं। अतः अधिनियम की धारा 10(ख) के परन्तुक में दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त वर्ष में 01 माह से अधिक की अवकाश अवधि 06 दिवस दुर्गम में की गयी कुल सेवा अवधि से घटाया जाना प्रस्तावित है।
14	आशीष भण्डारी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रुद्रप्रयाग	-	-	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर वर्ष, 2010 में कुल 35 अवकाश ग्रहण किये गये हैं। अतः अधिनियम की धारा 10(ख) के परन्तुक में दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त वर्ष में 01 माह से अधिक की अवकाश अवधि 05 दिवस दुर्गम में की गयी कुल सेवा अवधि से घटाया जाना

*[Handwritten signature]*

114  
टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

				प्रस्तावित है।
--	--	--	--	----------------

9- वैयक्तिक सहायक

क्र० सं०	कार्मिक का नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/अवकाश की अवधि
1	मीनाक्षी नैथानी एवं अंजना देवी	परिवहन आयुक्त कार्यालय	वैयक्तिक सहायक के 06 सृजित पदों के सापेक्ष अनिवार्य स्थानान्तरण सूची में 08 पद प्रदर्शित होने का उल्लेख किया गया है।	1- संगत शासनादेश में दी गयी व्यवस्थानुसार परिवहन आयुक्त कार्यालय में वैयक्तिक सहायक के 04 पद एवं 02 पद सम्भागीय परिवहन कार्यालयों हेतु स्वीकृत किये गये हैं। परन्तु उक्त 02 पद किस सम्भागीय परिवहन कार्यालय हेतु स्वीकृत हैं उसका उल्लेख शासनादेश में नहीं किया गया है। 2- कुल स्वीकृत 06 पदों के सापेक्ष वर्तमान में 06 कार्मिक कार्यरत हैं, परन्तु उनका संवर्ग आबंटित निर्धारित नहीं हुआ है (मुख्यालय/सम्भागीय संवर्ग)। उक्त के दृष्टिगत कार्यरत 06 कार्मिकों से विकल्प प्राप्त किये जाने तथा सम्भागीय संवर्ग के 02 पदों को कार्यालयवार आबंटित करने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।	

10- कनिष्ठ सहायक

क्र० सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/अवकाश की अवधि
1	हेम चन्द्र आर्य	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	प्रवर्तन दल टनकपुर एवं अल्मोड़ा (प्रवर्तन चालक के पद पर) की तैनाती अवधि क्रमशः दिनांक 15-03-2005 से 24-08-2009 एवं दिनांक 25-08-2009 से 29-06-2016 तक को दुर्गम क्षेत्र में दर्शाये जाने का अनुरोध।	सम्बन्धित कार्मिक की आपत्ति सही पाये जाने के कारण संशोधन प्रस्तावित है।	-

*(Handwritten signatures)*

टीपें और आज्ञायें

2	आकेश कुमार	सहायक परिवहन कार्यालय, काशीपुर	सम्भागीय कार्यालय,	नियुक्ति की तिथि से काशीपुर कार्यालय में तैनाती का उल्लेख करते हुए पूर्व तैनातियों के विवरण में संशोधन का अनुरोध।	सम्बन्धित कार्मिक की आपत्ति सही पाये जाने के कारण संशोधन प्रस्तावित।	-
3	रश्मि नेगी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रुद्रप्रयाग	कार्यालय,	-	-	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर वर्ष, 2011, 2012 एवं 2013 में क्रमशः कुल 31, 32 तथा 180 अवकाश ग्रहण किये गये हैं। अतः अधिनियम की धारा 10(ख) के परन्तुक में दी गयी व्यवस्थानुसार उक्त वर्षों में प्रतिवर्ष 01 माह से अधिक की अवकाश अवधि क्रमशः 01, 02 तथा 150 दिवस, कुल 153 दिवस दुर्गम में की गयी कुल सेवा अवधि से घटाया जाना प्रस्तावित है।

11- प्रवर्तन पर्यवेक्षक

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/ अवकाश की अवधि
1	वीरेन्द्र सिंह टोलिया	परिवहन चैकपोस्ट- नारसन हरिद्वार।	स्थानान्तरण हेतु प्रदर्शित सूची में पूर्व तैनातियों के विवरण में संशोधन का अनुरोध किया गया है।	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर सम्बन्धित कार्मिक की पूर्व तैनातियों के विवरण में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	

*(Handwritten signatures and initials)*



116  
टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

12— प्रवर्तन चालक

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/ अवकाश की अवधि
1	कमल कुमार बंसल	परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून	पूर्व तैनातियों के विवरण में जनवरी, 2007 से जुलाई, 2009 तक (लगभग ढाई वर्ष) सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी में सम्बद्ध होने का उल्लेख करते हुए संशोधन का अनुरोध।	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, ऋषिकेश द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों में प्रश्नगत अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था। तत्पश्चात अवधि का विवरण प्राप्त होने पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	
2	शिवप्रकाश सिंह रावत	प्रवर्तन दल, नैनीताल	पूर्व तैनातियों की सेवा में दिनांक 06-07-2016 से प्रवर्तन दल, नैनीताल में 02 वर्ष की सेवा को दुर्गम क्षेत्र में दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है।	सम्भागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रत्यावेन के आधार पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	
3	अयोध्या प्रसाद	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी	दुर्गम तैनातियों का विवरण सही अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है:- 1- 15-03-2005 से 01-08-2010 तक टिहरी 2- 02-08-2010 से पौड़ी 3- 11-08-2010 से 22-05-2017 तक कर्णप्रयाग (सम्बद्ध)	सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आधार पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	

13— प्रवर्तन सिपाही

## 13- प्रवर्तन सिपाही

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/ अवकाश की अवधि
1	कुलदीप सिंह नेगी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	सेवानिवृत्ति की तिथि 30-12-2041 किये जाने का अनुरोध किया गया है।	सम्बन्धित कार्मिक की आपत्ति सही पाये जाने के कारण संशोधन प्रस्तावित है।	
2	शूरवीर सिंह कण्डवाल	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, कर्णप्रयाग	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों की सूची में क्रमांक 15 पर अंकित शिव कुमार बहुगुणा के साथ अपना नाम अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।	सम्बन्धित कार्मिक की तैनाती उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय में दिनांक 08-01-2014 को हुयी थी तथा दिनांक 20-01-2015 से मई, 2016 तक रुद्रप्रयाग कार्यालय में सम्बद्ध होने के कारण वर्तमान तैनाती स्थल पर तैनाती की तिथि मई, 2016 दर्शायी गयी है। अतः आपत्ति अमान्य है।	
3	रमेश चन्द्र पन्त	परिवहन आयुक्त कार्यालय, देहरादून	मुख्यालय में वर्तमान तैनाती की अवधि 24-02-2018 के स्थान पर 12-11-2009 दर्शाये जाने का अनुरोध किया गया है।	सम्बन्धित कार्मिक की नियुक्ति मुख्यालय में दिनांक 12-11-2009 को हुयी थी तथा दिनांक 19-10-2011 से 24-02-2018 तक गोवर्द्धनपुर चैकपोस्ट में सम्बद्ध होने के कारण वर्तमान तैनाती स्थल पर तैनाती की तिथि 24-02-2018 दर्शायी गयी है। अतः आपत्ति अमान्य है।	
4	मुकेश चन्द्र वर्मा	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, नारसन	नारसन चैकपोस्ट पर अपनी तैनाती की तिथि 27-08-2012 के स्थान पर 02-08-2014 किये जाने का अनुरोध किया गया है।	सम्बन्धित कार्मिक नारसन चैकपोस्ट में दिनांक 27-08-2012 से 31-07-2014 तक सम्बद्ध एवं दिनांक 02-08-2014 को स्थानान्तरण के फलस्वरूप तैनात हैं। अतः उनकी नारसन चैकपोस्ट पर तैनाती की तिथि 27-08-2012 दर्शायी गयी है। अतः आपत्ति अमान्य है।	

टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

5	अरविन्द हयांकी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, टनकपुर	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर द्वारा सम्बन्धित कार्मिक की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 12-11-2009 एवं रुद्रपुर कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 17-12-2009 किये जाने का अनुरोध किया गया है।	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आधार पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
6	दिवान सिंह पंवार	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, नारसन	-	सम्बन्धित कार्मिक का नाम पूर्व में प्रेषित स्थानान्तरण पात्रता सूची में अंकित नहीं हो पाया था। अतः अभिलेखानुसार सम्बन्धित कार्मिक का नाम पत्रता सूची में अंकित किया जाना प्रस्तावित है।
7	भूपेन्द्र कुमार	परिवहन कर संग्रह केन्द्र, नारसन	-	सम्बन्धित कार्मिक का नाम पूर्व में प्रेषित स्थानान्तरण पात्रता सूची में अंकित नहीं हो पाया था। अतः अभिलेखानुसार सम्बन्धित कार्मिक का नाम पत्रता सूची में अंकित किया जाना प्रस्तावित है।
8	अश्वनी कुमार चौहान	प्रवर्तन दल, रुड़की	दिनांक 03-09-2012 से 12-09-2013 तक उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, उत्तरकाशी में तैनाती प्रदर्शित करने का अनुरोध किया गया है।	सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।








119  
टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)


दिनांक 20-05-2018 के बाद प्राप्त होने वाली आपत्तियां  
संभागीय परिवहन अधिकारी-

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/ अवकाश की अवधि
01	दिनेश चन्द्र पठोई	संभागीय परिवहन कार्यालय, पौड़ी	इनके द्वारा दिनांक 14-10-2005 से सहा० संभागीय परिवहन अधिकारी उत्तरकाशी के पद पर प्रथम तैनाती के फलस्वरूप 27-08-2006 को कार्यभार ग्रहण करने की अवधि प्रशिक्षण अवधि में सम्मिलित होने के कारण प्रशिक्षण हेतु तैनाती को सुगम क्षेत्र की सेवा में सम्मिलित न किये जाने का अनुरोध किया गया है।	प्रशिक्षण अवधि को सुगम क्षेत्र की सेवा अवधि में से हटाया जाना प्रस्तावित है।	
02	सुधांशु गर्ग	संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	1-इनके द्वारा सम्पूर्ण सेवा में 18 वर्ष 10 माह सुगम एवं 07 वर्ष 02 माह दुर्गम में प्रदर्शित किये जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए सुगम क्षेत्र में की गयी सेवा की गणना केवल उत्तराखण्ड राज्य में की गयी सेवा के आधार पर किये जाने का अनुरोध किया गया है। 2-इनके द्वारा अधिनियम की धारा 20(ख) में दिये गये प्राविधानानुसार 22 माह का अतिरिक्त दुर्गम सेवा का लाभ प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। 3- इनके द्वारा संभागीय परिवहन	1-अधिनियम के अनुसार पात्रता सूची का निर्धारण सम्पूर्ण सेवा अवधि से किया गया है न कि केवल उत्तराखण्ड राज्य में की गयी सेवा से। आपत्ति अमान्य किये जाने योग्य है। 2-इस आपत्ति से उनकी पात्रता की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अन्य प्रकरणों में भी उक्त प्रोत्साहन/लाभ प्रदान कर कुल सेवावधि में कोई वृद्धि नहीं की गयी है। अतः आपत्ति अमान्य किये जाने योग्य है।	



टीपें और आज्ञायें

			अधिकारी का पद मण्डलीय स्तर का पद होने के कारण अधिनियम की धारा 17-2(क) में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्मिक विभाग से मत प्राप्त करने का अनुरोध किया गया है।	3-इस सम्बन्ध में शासन द्वारा यथोचित दिशा निर्देश प्रदान किया जाना अपेक्षित है।
3	राजीव कुमार मेहरा	संभागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	<p>1-मुख्यालय में तैनाती की अवधि 14-10-2005 से 26-08-2006 कुल 10 माह 12 दिन की अवधि में उत्तरकाशी एवं टिहरी जनपदों में यमनोत्री एवं गंगोत्री मार्ग पर दुर्गम क्षेत्रों में निर्वहन किये गये दायित्वों के दृष्टिगत उक्त अवधि को दुर्गम क्षेत्र में तैनाती की अवधि में सम्मिलित किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>2-सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) देहरादून के पद पर दिनांक 08-07-2008 से 29-07-2009 की अवधि में तैनाती के दौरान प्रवर्तन दल चकराता का सम्पूर्ण क्षेत्र प्रवर्तन दल देहरादून में सम्मिलित था। वर्तमान में प्रवर्तन दल चकराता दुर्गम श्रेणी के अन्तर्गत श्रेणीबद्ध किया गया है। तदनुसार उक्त अवधि को दुर्गम क्षेत्र की कार्यावधि में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>3-दिनांक 01-08-2009 से दिनांक 24-08-2012 तक सहायक संभागीय</p>	<p>1-श्री दिनेश चन्द पटोई द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के साथ संलग्न आदेश के अनुसार मुख्यालय में तैनाती की अवधि को प्रशिक्षण अवधि मानते हुए उक्त अवधि को सुगम क्षेत्र की सेवावधि से घटाया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>2- आपत्ति मान्य करते हुए प्रश्नगत अवधि को दुर्गम क्षेत्र की सेवा में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।</p> <p>3-आपत्ति मान्य करते हुए प्रश्नगत अवधि को दुर्गम क्षेत्र की सेवा में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है।</p>




टीपें और आज्ञायें (क्रमशः)

			परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) उधमसिंहनगर एवं हल्द्वानी के पद पर कार्य किया गया है। उक्त अवधि में प्रवर्तन दल हल्द्वानी के कार्यक्षेत्र में प्रवर्तन दल नैनीताल तथा रामनगर का क्षेत्र (धारी, कोश्याकुटौली, रामगढ़, ओखलकांडा, भीमताल, रामनगर, सल्ट, भिकियासैण तहसील तथा बेतालघाट व कोटाबाग विकासखण्ड) भी सम्मिलित था अतः उक्त कार्यावधि को दुर्गम क्षेत्र में सेवा में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।		
--	--	--	--	--	--

2-सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी-

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/ अवकाश की अवधि
1	रश्मि भट्ट	उपसंभागीय कार्यालय, टनकपुर	टनकपुर कार्यालय में सहा संभागीय परिवहन अधिकारी का पद एवं कार्यालय के समस्त स्टाफ सुगम क्षेत्र में रखे गये हैं, जबकि केवल परिवहन कर अधिकारी-1 एवं प्रवर्तन दल को दुर्गम में रखा गया है, एक ही स्थान पर कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों के निर्धारण में दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि उपसंभागीय परिवहन कार्यालय टनकपुर में	टनकपुर प्रवर्तन दल दुर्गम क्षेत्र में निर्धारित होने के कारण परिवहन कर अधिकारी-1 की सेवा अवधि को दुर्गम क्षेत्र में की गयी सेवा हेतु सम्मिलित किया गया है, परन्तु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद को इस श्रेणी से मुक्त रखा गया है। अतः आपत्ति अमान्य किया जाना प्रस्तावित है।	



			तैनात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं तैनात सम्पूर्ण कार्मिकों को दुर्गम में माना जाय।	
2	अरविन्द पाण्डेय	संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	इनके द्वारा दिनांक 06-05-2013 से दिनांक 21-04-2015 तक प्रवर्तन दल चकराता जो कि दुर्गम क्षेत्र में आता है, में किये गये कार्यअवधि (01 वर्ष 11 माह 15 दिवस) को दुर्गम क्षेत्र में किये गये कार्यअवधि में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।	परिवहन कर अधिकारी-1 के पद पर की गयी सेवा को दुर्गम क्षेत्र में की गयी सेवा अवधि में सम्मिलित किया गया है, परन्तु पदोन्नति के उपरान्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर की गयी सेवा को दुर्गम क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।

3-प्रधान सहायक -

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/ अवकाश की अवधि
1	यशवीर बिष्ट	संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	नियुक्ति की तिथि 15-01-2006 के स्थान पर 15-02-2006 किये जाने का अनुरोध।	सम्बन्धित कार्मिक की आपत्ति सही पाये जाने के कारण संशोधन प्रस्तावित है।	

*(Handwritten signatures)*

			<p>परिवहन अधिकारी(प्रवर्तन) उधमसिंहनगर एवं हल्द्वानी के पद पर कार्य किया गया है। उक्त अवधि में प्रवर्तन दल हल्द्वानी के कार्यक्षेत्र में प्रवर्तन दल नैनीताल तथा रामनगर का क्षेत्र (धारी, कोश्याकुटौली, रामगढ़, ओखलकांडा, भीमताल, रामनगर, सल्ट, भिकियासैण तहसील तथा बेतालघाट व कोटाबाग विकासखण्ड) भी सम्मिलित था अतः उक्त कार्यावधि को दुर्गम क्षेत्र में सेवा में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।</p>		
--	--	--	---	--	--

2-सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी-

क्र०सं०	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता / अवकाश की अवधि
1	रश्मि भट्ट	उपसंभागीय कार्यालय, टनकपुर	<p>टनकपुर कार्यालय में सहा संभागीय परिवहन अधिकारी का पद एवं कार्यालय के समस्त स्टाफ सुगम क्षेत्र में रखे गये हैं, जबकि केवल परिवहन कर अधिकारी-1 एवं प्रवर्तन दल को दुर्गम में रखा गया है, एक ही स्थान पर कार्य करने वाले अधिकारियों एवं कार्मिकों के निर्धारण में दोहरा मापदण्ड अपनाया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि उपसंभागीय परिवहन कार्यालय टनकपुर में</p>	<p>टनकपुर प्रवर्तन दल दुर्गम क्षेत्र में निर्धारित होने के कारण परिवहन कर अधिकारी-1 की सेवा अवधि को दुर्गम क्षेत्र में की गयी सेवा हेतु सम्मिलित किया गया है, परन्तु सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद को इस श्रेणी से मुक्त रखा गया है। अतः आपत्ति अमान्य किया जाना प्रस्तावित है।</p>	

*[Handwritten signatures]*



टीपें और आज्ञायें


			तैनात सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं तैनात सम्पूर्ण कार्मिकों को दुर्गम में माना जाय।		
2	अरविन्द पाण्डेय	संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	इनके द्वारा दिनांक 06-05-2013 से दिनांक 21-04-2015 तक प्रवर्तन दल चकराता जो कि दुर्गम क्षेत्र में आता है, में किये गये कार्यअवधि (01 वर्ष 11 माह 15 दिवस) को दुर्गम क्षेत्र में किये गये कार्यअवधि में सम्मिलित करने का अनुरोध किया गया है।	परिवहन कर अधिकारी-1 के पद पर की गयी सेवा को दुर्गम क्षेत्र में की गयी सेवा अवधि में सम्मिलित किया गया है, परन्तु पदोन्नति के उपरान्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के पद पर की गयी सेवा को दुर्गम क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है।	

3-प्रधान सहायक -

क्र0सं0	नाम सर्वश्री	तैनाती कार्यालय	आपत्ति	निस्तारण	सम्बद्धता/ अवकाश की अवधि
1	यशवीर बिष्ट	संभागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	नियुक्ति की तिथि 15-01-2006 के स्थान पर 15-02-2006 किये जाने का अनुरोध।	सम्बन्धित कार्मिक की आपत्ति सही पाये जाने के कारण संशोधन प्रस्तावित है।	

कृपया अनुमोदनार्थ।

परिवहन आयुक्त

  
 सुभाष चन्द्र शर्मा  
 अपर परिवहन आयुक्त  
 उत्तराखण्ड